न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 17/2023

जी.सी.एम.एस. : 2023/73

अपीलान्ट–	बनाम	रेस्पोडेन्ट–
पेपसिंह पुत्र अमरसिंह जाति रावत निवासी निचली निम्बली तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन 2. पटवारी पटवार हल्का बोरीमादा 3. आर.आई.सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 17/03/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के द्वारा प्रकरण संख्या 3/2022 अनवान सरकार बनाम पेपसिंह में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2022 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का बोरीमादा ने ग्राम निचली निम्बली के खसरा संख्या 144 पर कब्जा कर अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण संख्या 03/2022 दर्ज कर, अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 30.06.2022 को उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किया गया। नियत तारीख पेशी पर अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.07.2022 को अपीलाण्ट को अनुपस्थित बताते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को जवाब पेश करने से महरूब रखते हुये एक निर्धारित छपे छपाये प्रारूप में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध है। इसलिये अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर धोरा पाली कर कब्जा कर अतिक्रमण किया है जिसकी किस्म गै.मु.रास्ता है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी बोरीमादा ने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण परिलक्षित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हुए की गई है। अतः उक्त आदेश विधि संगत होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के द्वारा प्रकरण संख्या 3/2022 अनवान सरकार बनाम पेपसिंह में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2022 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में वकील अपीलाण्ट के कथनों पर गौर किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन करने के पश्चात अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का बोरीमादा ने मौजा निचली निम्बड़ी के खसरा संख्या 144 रकबा 0.0236 हैक्टर किस्म गै.मु.रास्ता भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा धोरा पाली कर कब्जा कर अतिक्मण किये जाने बाबत् टी.पी. रिपोर्ट तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष पेश की, जिस पर नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये गये। 91 एल.आर.एक्ट. के अधीन नोटिस प्रारूप 'क' में अपीलाण्ट पेपसिंह पुत्र अमरसिंह जाति रावत निवासी निचली निम्बडी को दिनांक 22.06.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया, जो मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है साथ ही नोटिस में उल्लेखित किया कि 'आप दिनांक 30.06.2022 से पूर्व उक्त भूमि को खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 30.06.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में 10.00 पूर्वाह्न हाजिर होवे तथा यह हैतुक दर्शित करे कि आपको यहां से बेदखल क्यों न कर दिया जावे।' एवं मातहत अदालत की आदेशिका दिनांक 30.06.2022 में यह स्पष्ट अंकित है कि अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, जिन्होनें जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि 91 एल.आर.एक्ट. का नोटिस निर्धारित प्रारूप में विधिनुसार, विधिवत तरीके से जारी किया गया तथा अप्रार्थी को जवाब एवं साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी निर्धारित समयावधि में अप्रार्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं किया, तदुपरान्त आगामी तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के अधिवक्ता अनुपस्थित होने पर जैर अपील आदेश पारित किया, जो विधि सम्मत है।

इसके अतिरिक्त ग्राम निचली निम्बड़ी तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 144 रकबा 0.0236 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में राजकीय खाते में दर्ज है तथा मातहत न्यायालय ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते निर्णय दिनांक 27.07.2022 के द्वारा अपीलाण्ट पेपसिंह को खसरा 144 रकबा 0.0236 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

उक्त आराजी पर अवैध कब्जा करने पर बतौर लगान शास्ति के वार्षिक लगान का 50 गुणा अनुसार 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये। जैर अपील आराजी की किस्म गै.मु.रास्ता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की मंशा भी राजकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त करना है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के द्वारा प्रकरण संख्या 3/2022 अनवान सरकार बनाम पेपसिंह में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली